सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या–2123 / सैंतीस–2–2023–1(5) / 2022टीसी

प्रेषक,
डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3– निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 30 अगस्त, 2023

विषय–प्रदेश में गोवंश में Lumpy Skin Disease (LSD) बीमारी की रोकथाम हेतु किये जा रहे कार्यों के सघन अनुश्रवण हेतु मण्डलीय नोडल अधिकारियों का दिनांक 07–09–2023 से 09–09–2023 के मध्य भ्रमण कार्यक्रम।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश के कतिपय जनपदों में गोवंशों में Lumpy Skin Disease (LSD) के संक्रमण की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यह एक विषाणुजनित रोग है। इसका प्रसार प्रभावित पशुओं से वेक्टर आदि के माध्यम से अन्य पशुओं में होता है। LSD संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा उपचार हेतु पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1593 / सैंतीस–2–2022 दिनांक 23 अगस्त, 2022 द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये थे। LSD बीमारी की रोकथाम हेतु किये जा रहे कार्यों का सघन अनुश्रवण करते हुये उसमें तेजी लाये जाने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रत्येक मण्डल में संलग्न सूची के अनुसार नोडल अधिकारी नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में मण्डलवार नामित नोडल अधिकारी दिनांक 07.09.2023 से 09.09.2023 तक आवंटित मण्डल में प्रवास करेंगे।

2– इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि मण्डलवार नामित नोडल अधिकारी निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगेः–

(1) नोडल अधिकारी द्वारा प्रवास के दौरान जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, अपर जिला अधिकारी (प्रभारी स्थानीय निकाय), मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी, खण्ड विकस अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के साथ बैठक कर LSD के संक्रमण के रोकथाम एवं उपचार हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा एवं सघन अनुश्रवण करेंगे।

(2) उक्त बैठकों में LSD के संबंध में निम्नानुसार समीक्षा की जायेगीः–

(क) LSD के रोकथाम एवं कन्टेंमेन्ट हेतु भारत सरकार एवं उ0प्र0शासन द्वारा दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार की गई कार्यवाही का अनुश्रवण।

(ख) जनपदों में LSD संक्रमण के संबंध में फीडबैक।

(ग) प्रभावित क्षेत्र में वैक्सीन, औषधि, लॉजिस्टिक, इंसेक्टीसाइट आदि की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा कर व्यवस्था।

(घ) जनपद स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम की क्रियाशीलता की समीक्षा।

(ड) जनपद में वैक्सीन प्लान की समीक्षा एवं वैक्सीन की उपलब्धता।

(3) उपर्युक्त बिन्दु निदर्शनात्मक मात्र है। गाइडलाईन्स के अनुसार जनपदों में LSD नियंत्रण, उपचार, वैक्सीनेशन प्लान, साफ–सफाई, सेनिटाइजेशन प्रशिक्षण/जागरूकता आदि बिन्दुओं पर विधिवत विस्तृत समीक्षा की जाय। भ्रमण के दौरान प्राप्त स्थानीय जनप्रतिनिधियों/मीडिया के फीडबैक का विश्लेषण करते हुये समुचित समाधान स्थानीय प्रशासन के माध्यम से कराया जाय एवं यथोचित समन्वय/मार्गदर्शन प्रदान किया जाय।

3– नोडल अधिकारियों द्वारा संलग्न प्रारूप–1, 2 एवं 3 पर दिनांक 10.09.2023 तक सूचनायें ईमेल nadcpup2020@gmail.com पर उपलब्ध कराई जायेगी।

<u>संलग्नक–उपर्युक्तानुसार।</u>

भवदीय,

Signed by डा0 रजनीश दुबे
Date: 30-08-2023 18:37:2(
Reason: Approved

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या–2123(1)/सैंतीस–2–2023 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
2– निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पशुधन विभाग, उ0प्र0।
3– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
4– विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
5– निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6– सम्बन्धित नोडल अधिकारी (संलग्न सूची के अनुसार)
7– सम्बन्धित अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
8– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

प्रदेश में Lumpy Skin Disease (LSD) की रोकथाम हेतु किये जा रहे कार्यो के सघन अनुश्रवण हेतु नामित नोडल अधिकारियों की सूची–

क0सं0	मण्डल	अधिकारी का नाम/पदनाम
1.	झांसी	डा0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2.	गोरखपुर एवं बस्ती	श्री शशि भूषण लाल सुशील, दुग्ध आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
3.	वाराणसी एवं विन्धयाचल	श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, विशेष सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4.	अयोध्या एवं देवीपाटन	श्री आनन्द सिंह, प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ।
5.	प्रयागराज चित्रकूट	श्री राम सहाय यादव, विशेष सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6.	लखनऊ	निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7.	कानपुर	श्री अमित कुमार, संयुक्त निदेशक, प्रशासन पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
	आजमगढ़	डा0 जयकेश पाण्डेय, अपर निदेशक, पशुपालन विभाग।

प्रारूप–1 (क)

जनपद स्तर पर प्राप्त की जाने वाली सूचना

कमांक	जनपद का नाम	विवरण
1	प्रभावित पशुओं की संख्या–गोवंश महिषवंश	
2	उपलब्ध औषधियों का विवरण यथा एण्टीबायोटिक/ एण्टीहिस्टामिनिक/एनाल्जेसिक/आइवरमेक्टिन आदि। सैनीटाइजर यथा सोडियम साइपोक्लोराइड आदि	
3	चिकित्सा हेतु गठित टीमों की संख्या	
4	स्थापित कन्ट्रोल रूम नम्बर	
5	एकत्र किये गये सैम्पिल की संख्या	
6	परीक्षण हेतु सैम्पिल भेजे जाने का स्थान	
7	सैम्पिल भेजे जाने का दिनांक	
8	सैम्पिल की रिपोर्ट यदि प्राप्त हुई हो तो (धनात्मक/ त्रणात्मक)	
9	क्या संकमित पशु रखने के लिए कोई कमकपबंजमक गोआश्रय स्थान चिन्हित किया गया है?	
10	यदि हां तो कमकपबंजमक गोआश्रय स्थल का स्थान	
11	मृत पषुओं की संख्या (गोवंष एवं महिषवंष पृथक–पृथक)	
12	प्रषिक्षण/जन जागरूकता की स्थिति	
13	जनपद की रैस्क मैपिंग की स्थिति	
14	जोनल/सेक्टर प्लान	
15	टीकाकरण की प्लानिंग	
16	रिंग एरिया प्लानिंग	
17	मीडिया ब्रीफिंग/रिपोर्टिंग	

हस्ताक्षर नोडल अधिकारी

प्रारूप–1 (ख)

जनपद विकास खण्ड–

1	विकास खण्ड में लम्पी रोग से प्रभावित पशुओं की संख्या	
2	क्या विकास खण्ड में कोई कमकपबंजमक गोआश्रय स्थल बनाया गया है?	
3	यदि नही तो संक्रमित पशुओं को रखे जाने का स्थान	
4	विकास खण्ड स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा नामित सेक्टर प्रभारी का नाम एवं सम्पर्क सूत्र	
5	गोवंश को संक्रमण से बचाने हेतु किये गये उपाय	
6	टीकाकरण के रिंग वैक्सीनेशन की स्थिति	
7	टीकाकरण हेतु अतिरिक्त वैक्सीन की आवश्यकता?	
8	विकास खण्ड स्तर पर कन्ज्युमेबिल/औषधियों की उपलब्धता	
9	कन्ज्युमेबिल/औषधियों की अतिरिक्त आवश्यकता ?	
10	सैनीटाइजेषन की स्थिति	
11	गो आश्रय स्थलों हेतु सफाई कर्मियों का रोस्टर	

हस्ताक्षर नोडल अधिकारी

प्रारूप–2 (क)

ग्राम स्तर पर प्राप्त की जाने वाली सूचना

(प्रत्येक प्रभावित ग्राम हेतु पृथक रूप से भरा जाए)

1	प्रभावित ग्राम व विकास खण्ड का नाम	
2	ग्राम में गोवंश की कुल संख्या	
3	ग्राम में महिषवंश की कुल संख्या	
4	प्रभावित गौवंश की संख्या	
5	प्रभावित महिषवंश की संख्या	
6	ग्राम में प्रथम बार पशु के प्रभावित होने की तिथि	
7	प्रभावित पशुओं का चिकित्सा विवरण	
8	ग्राम में रोग नियन्त्रण हेतु किये गये उपाय	
9	सेग्रीगेशन किया गया है या नहीं	
10	यदि दवा का छिड़काव किया गया है तो औषधि का नाम	
11	छिड़काव करने वाली संस्था का नाम	
12	रोग का सम्भावित स्रोत	
13	ग्राम में मृत पशुओं की संख्या (गोवंश एवं महिषवंश पृथक–पृथक)	
14	मृत पषुओं के षव निस्तारण की स्थिति	

हस्ताक्षर नोडल अधिकारी

प्रारूप–2 (ख)

जनपद विकास खण्ड

1	गो आश्रय स्थल का नाम	
2	गो आश्रय स्थल का भ्रमण का दिनांक	
3	गो आश्रय स्थल में लम्पी स्किन डिजीज से प्रभावित गोवंश की संख्या	
4	प्रभावित पशुओं के आईसोलेशन की स्थिति	
5	क्या आईसोलेशन हेतु कोई पृथक शेड निश्चित किया गया है ?	
6	परीक्षण हेतु भेजे गये सैम्पिल की संख्या	
7	परीक्षण परिणाम (यदि प्राप्त हुआ हो तो)	
8	गोआश्रय स्थल के पशुओं को रोग से बचाने हेतु किये गये उपाय (छिड़काव / टीकाकरण)	
9	गो आश्रय स्थल में यदि लम्पी रोग से किसी गोवंश की मृत्यु हुई हो तो संख्या	
10	मृत गोवंश के निस्तारण की व्यवस्था	
11	अन्य बिन्दु	

हस्ताक्षर नोडल अधिकारी

प्रारूप–3

मुख्य समस्याएँ, समाधान, आवश्यकता एवं सुझाव

1– समस्याएँ:–

1.
2.
3.
4.
5.

2–समाधान:–

1.
2.
3.
4.
5.

3–आवश्यकता:–

1.
2.
3.
4.
5.

4–सुझाव:–

1.
2.
3.
4.
5.